हरिद्वार में गंगा घाटों पर प्लास्टिक वस्तुओं की बिक्री पर रोक

चर्चा में क्यों?

12 अप्रैल, 2022 को हरिद्वार नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि 25 अप्रैल से हरिद्वार स्थित गंगा घाटों पर प्लास्टिक वस्तुओं की बिक्री नहीं की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- प्लास्टिक वस्तुओं पर रोक के पश्चात् घाटों पर हस्तनिर्मित कपड़े तथा जूट की चटाई के साथ प्लास्टिक कैन की जगह बाँस, तांबा व काँच की बोतल की बिक्री की जाएगी।
- यह बिक्री दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से की जाएगी।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन वर्ष 2013 में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत शहरी गरीबों को सशक्त आधारभूत स्तर की संस्थाओं में संगठित करने, कौशल विकास के लिये अवसर सृजित करने पर ज़ोर दिया जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ban-on-sale-of-plastic-items-at-ganga-ghats-in-haridwar